



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2022/48

दर्ज तिथि:-28.02.2022

1. कानाराम पुत्र गुणेशाराम
कौम माली साकिन मोटी ढाणी तहसील गुडामालानी बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. कृष्ण पुत्र बाबुराम
2. गवरी पत्नी बाबुराम
3. चनणा पुत्र मेघाराम
4. नरसीराम पुत्र गुणेशाराम
5. पन्नाराम पुत्र गुणेशाराम
6. भूराराम पुत्र गुणेशाराम
7. चुनी पत्नी मेघाराम
8. मालाराम पुत्र बाबुराम
9. रतनाराम पुत्र मेघाराम
10. वरधाराम पुत्र मेघाराम
11. शंकराराम पुत्र दीपाराम
जाति माली निवासी मोटी ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

12. तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादीगण:- श्री गंगाराम चौधरी।

प्रतिवादीगण:- श्री पूनमाराम विश्नोई।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955



—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:- 19.09.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 1225/4.2735 है0 वाके ग्राम मोटी ढाणी व 1393/5.4309 है0 राठौड़ों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन-वकालतन उपस्थित हुए। वादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित राजीनामा पेश कर माफिक हक हिस्सा भूमि की गुडवत्ता एवं आवागमन की सुविधा एवं वर्तमान कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुडामालानी से कुर्रजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2024/1825 दिनांक 06.08.2024 के द्वारा

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार प्रेषित मौका कुर्रेजात रिपोर्ट तथा प्रकरण में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. <i>- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</i></p>	<p>प्रकरण में दिनांक 08.04.2024 को तहसीलदार गुडामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुडामालानी के नोटिस क्रमांक/2024/75-85 दिनांक 21.03.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 08.04.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुडामालानी के नोटिस क्रमांक/2024/75-85 दिनांक 21.03.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 08.04.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 1225/4.2735 है0 वाके ग्राम मोटी ढाणी व 1393/5.4309 है0 राठौडों की ढाणी तहसील गुडामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में

वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह- काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 1225/4.2735 है0 वाके ग्राम मोटी ढाणी व 1393/5.4309 है0 राठौड़ों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा	रकबा(है0)
कानाराम पुत्र गुणेशाराम जाति माली बाकी	मोटी ढाणी	1225	0.5800
इन्द्राज मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर	राठौड़ों की ढाणी	1393	1.7056
नरसीराम पुत्र गुणेशाराम जाति माली बाकी	मोटी ढाणी	1225	0.5800
इन्द्राज मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर	राठौड़ों की ढाणी	1393	0.0733

		1393	6.6323
पन्नाराम पुत्र गुणेशाराम जाति माली बाकी इन्द्राज मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर	मोटी ढाणी	1225	0.5800
	राठौड़ों की ढाणी	1393	0.7056
भूराराम पुत्र गुणेशाराम जाति माली बाकी इन्द्राज मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर	मोटी ढाणी	1225	0.5800
	राठौड़ों की ढाणी	1393	0.7056
मालाराम, कृष्ण पि० बाबूराम गवरी देवी पत्नी बाबूराम जाति माली बाकी इन्द्राज मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर	मोटी ढाणी	1225	0.5800
	राठौड़ों की ढाणी	1393	0.7056
चनणा, रतना, वरधा पि० मेघाराम चूनी पत्नी मेघाराम जाति माली बाकी इन्द्राज मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर	मोटी ढाणी	1225	0.5800
	राठौड़ों की ढाणी	1393	0.7056
शंकराराम पुत्र दीपाराम जाति माली बाकी इन्द्राज मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर	मोटी ढाणी	1225	0.7985
	राठौड़ों की ढाणी	1393	0.2573
		1393	0.6015
चनणा, रतना, वरधा पि० मेघाराम चूनी पत्नी मेघाराम जाति माली बाकी इन्द्राज मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर	राठौड़ों की ढाणी	1393	0.063
संयुक्त खातेदारी में आराजी विवरण	हिस्सा		
कृष्ण पुत्र बाबू	215 / 4752		
कानाराम पुत्र गुणेशाराम	215 / 1584		
गवरी पत्नी बाबू	215 / 4752		
चनणा पुत्र मेघाराम	215 / 6336		
नरसीराम पुत्र गुणेशा	215 / 1584		
पनाराम पुत्र गुणेशा	215 / 1584		
भूराराम पुत्र गुणेशाराम	215 / 1584	राठौड़ों की ढाणी	1393 0.2751
चूनी पत्नी मेघाराम	215 / 6336		
मालाराम पुत्र बाबूराम	215 / 4752		
रतना पुत्र मेघा	215 / 6336		
वरधा पुत्र मेघाराम	215 / 6336		
शंकराराम पुत्र दीपा	49 / 264		
समस्त जाति माली बाकी इन्द्राज मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर			

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन

कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में
रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री
तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम
जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं
मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी-बाड़मेर





न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाडमेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2022/48

दर्ज तिथि:-28.02.2022

1. कानाराम पुत्र गणेशाराम
कौम माली साकिन मोटी ढाणी तहसील गुडामालानी बाडमेर

.....वादी

बनाम

1. कृष्ण पुत्र बाबुराम
2. गवरी पत्नी बाबुराम
3. चनणा पुत्र मेघाराम
4. नरसीराम पुत्र गुणेशाराम
5. पन्नाराम पुत्र गुणेशाराम
6. भूराराम पुत्र गुणेशाराम
7. चुनी पत्नी मेघाराम
8. मालाराम पुत्र बाबुराम
9. रतनाराम पुत्र मेघाराम
10. वरधाराम पुत्र मेघाराम
11. शंकराराम पुत्र दीपाराम
जाति माली निवासी मोटी ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

सत्यमेव जयते

.....असल प्रतिवादीगण

12. तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादीगण:- श्री गंगाराम चौधरी।

प्रतिवादीगण:- श्री पूनमाराम विश्नोई।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 1225/4.2735 है0 वाके ग्राम मोटी ढाणी व 1393/5.4309 है0 राठौडों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा	रकबा(है0)
कानाराम पुत्र गुणेशाराम जाति माली बाकी इन्द्राज मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर	मोटी ढाणी	1225	0.5800
	राठौडों की ढाणी	1393	1.7056
नरसीराम पुत्र गुणेशाराम जाति माली बाकी इन्द्राज मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर	मोटी ढाणी	1225	0.5800
	राठौडों की ढाणी	1393	0.0733
		1393	6.6323
पन्नाराम पुत्र गुणेशाराम जाति माली बाकी इन्द्राज मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर	मोटी ढाणी	1225	0.5800
	राठौडों की ढाणी	1393	0.7056
भूराराम पुत्र गुणेशाराम जाति माली बाकी इन्द्राज मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर	मोटी ढाणी	1225	0.5800
	राठौडों की ढाणी	1393	0.7056
मालाराम, कृष्ण पि0 बाबूराम गवरी देवी पत्नी बाबूराम जाति माली बाकी इन्द्राज मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर	मोटी ढाणी	1225	0.5800
	राठौडों की ढाणी	1393	0.7056
चनणा, रतना, वरधा पि0 मेघाराम चूनी पत्नी मेघाराम जाति माली बाकी इन्द्राज मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर	मोटी ढाणी	1225	0.5800
	राठौडों की ढाणी	1393	0.7056
शंकराराम पुत्र दीपाराम जाति माली बाकी इन्द्राज मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर	मोटी ढाणी	1225	0.7985
	राठौडों की ढाणी	1393	0.2573
		1393	0.6015
चनणा, रतना, वरधा पि0 मेघाराम चूनी पत्नी मेघाराम जाति माली बाकी इन्द्राज मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर	राठौडों की ढाणी	1393	0.063
संयुक्त खातेदारी में आराजी विवरण	हिस्सा		

कृष्ण पुत्र बाबू	215 / 4752			
कानाराम पुत्र गुणेशाराम	215 / 1584			
गवरी पत्नी बाबू	215 / 4752			
चनणा पुत्र मेघाराम	215 / 6336			
नरसीराम पुत्र गुणेशा	215 / 1584			
पनाराम पुत्र गुणेशा	215 / 1584			
भूराराम पुत्र गुणेशाराम	215 / 1584	राठौड़ों की ढाणी	1393	0.2751
चूनी पत्नी मेघाराम	215 / 6336			
मालाराम पुत्र बाबूराम	215 / 4752			
रतना पुत्र मेघा	215 / 6336			
वरधा पुत्र मेघाराम	215 / 6336			
शंकराराम पुत्र दीपा	49 / 264			
समस्त जाति माली बाकी इन्द्राज मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

यह डिक्री आज दिनांक 19.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

सत्यमेव जयते

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी-बाडमेर